मानक प्रचालन कार्यविधि

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

देहरादून, उत्तराखण्ड

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप,
गोरखपुर

नोट

मानक प्रचालन कार्यविधि

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

देहरादून, उत्तराखण्ड

विवरणिका

1. संदर्भ

2. उद्देश्य

3. पूर्व तैयारी क्रिया
   - 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण
   - 3.2 जोखिम आकलन/निरीक्षण
   - 3.3 संसाधन मानचित्रण
   - 3.4 संवेदनशील स्थलों के सुधारात्मक उपाय
   - 3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

4. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन
   - 4.1 पहले से चेतावनी मिलने की की स्थिति में सक्रियता
   - 4.2 अल्प अवधि की चेतावनी अथवा चेतावनी ने मिलने की स्थिति में सक्रियता

5. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

6. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

7. सुझाव

8. चेकलिस्ट

1. संदर्भ

उत्तराखण्ड राज्य विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में अत्यधिक संवेदनशील (Vulnerable) है। आपदाओं के समय प्रतिवादन करने के अतिरिक्त राज्य व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा के पूर्व तैयारियों एवं आपदा के बाद पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन से सम्बन्धित कार्यों के लिए भी उत्तरदायी है। राज्य आपदा प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में सभी सम्बन्धित विभागों के लिए आपदा पूर्व की जाने वाली तैयारियों के लिए दिशा–निर्देश जारी करने तथा कृत कार्यों का परिपरीक्षण करता है। इसके साथ ही राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक आपदाओं की पहचान, उनके स्वरूप में बदलाव तथा उससे होने वाली क्षति के आधार पर रणनीति नियोजन का कार्य भी आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का होता है। यह प्राधिकरण प्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति के निर्देशन में कार्य करता है, जिसके माध्यम से उसे समय–समय पर दिशा–निर्देश भी जारी होते हैं। इन्हीं दिशा–निर्देशों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करते हुए आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की मानक प्रचालन कार्यविधि (Standard Operating Procedure) तैयार की गयी है ताकि आपदाओं के विभिन्न चरणों में की जाने वाली गतिविधियां अधिक सुगम तरीके से लोगों तक पहुंचायी जा सकै।

2. उद्देश्य

मानक प्रचालन कार्यविधि बनाने के निम्नवत् उद्देश्य है–

- विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का सन्दर्भ लेते हुए राज्य से लेकर जनपद स्तर तक की सभी इकाइयों के बीच कार्यों एवं जिम्मेदारियों की स्पष्टता।
- आपदाओं से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आपदा के दौरान त्वरित व प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य।
- आपदा से पूर्व एवं आपदा के दौरान की गतिविधियों को सम्पादित करते हुए आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना।
- विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में बचाव के उपायों पर विभागीय एवं समुदाय के बीच क्षमतावर्धन करना।

3. पूर्व तैयारी क्रिया

विभाग द्वारा पूर्व तैयारी के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी–

3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी मुख्य विभागों की सहभागिता से राज्य आपदा प्रबन्धन योजना तथा राज्य प्रतिवादन योजना तैयार की जायेगी।
- किसी भी आपदा की स्थिति में राज्य स्तर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में आई0आर0एस0 टीम को सक्रिय किया जायेगा।
- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण चिन्हित प्रशिक्षण जरूरतों के लिए योजना बनायेगा, संसाधन जुटायेगा और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा मानसून से पहले जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, पुलिस, त्वरित प्रतिवादन बल, सेना, अर्धसैनिक बल, एन0डी0आर0एफ0 /

एस0डी0आर0एफ0 आदि मुख्य एजेन्सियों के साथ निश्चित अन्तराल पर बैठक कर सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जायेगा।

- सचिव, आपदा प्रबन्धन के निर्देशन में राज्य आपदा नोडल अधिकारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में विगत अनुभवों के आधार पर राज्य आपदा प्रबन्धन योजना को अद्यतन करेंगे तथा जनपद स्तर पर तैयार जिला आपदा प्रबन्धन योजना को अद्यतन करने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निर्देशित करेंगे।

- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण समय–समय पर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में आपदा रोक–थाम एवं न्यूनीकरण हेतु चिन्हित उपायों का समावेश सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे।

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा व डीडीएमओ जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, पुलिस, त्वरित प्रतिवादन दल एवं अन्य सभी सम्बन्धित विभागों एवं निकायों की आपातकालीन कार्य योजनाओं तथा उनकी पूर्व तैयारी की समीक्षा माह अप्रैल–मई में करेंगे ताकि आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पादित किया जा सके।

- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में, आपदा की परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यकतानुसार सहयोग लेने हेतु पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों एवं यथोचित राष्ट्रीय– अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क किया जायेगा और नेटवर्क तैयार किया जायेगा। इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारी एल 3 की आपात स्थितियों से निपटने हेतु पड़ोसी जिलों के अधिकारियों तथा विभिन्न राष्ट्रीय एजेन्सियों से सम्पर्क बनाते हुए नेटवर्क बनायेंगे।

- जनपद व राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण डीडीएमओ पूर्व चेतावनी सूचना प्रसारण के लिये तंत्र विकसित करेंगे, उनका रख–रखाव करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे ताकि जनता में सही सूचना प्रसारित की जाये।

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/प्रभारी दैवीय आपदा जनपद में स्थित सभी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रायोजनों के लिए उपलब्ध कराने हेतु दिशा–निर्देश देंगे।

3.2 जोखिम आकलन/निरीक्षण

- राज्य में आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों व जनपदों के अन्तर्गत सर्वाधिक संवेदनशील विकासखण्डों/क्षेत्रों की पहचान अप्रैल माह तक कर ली जायेगी। इसके साथ ही संभावित आपदाओं एवं उससे होने वाली संवेदनशीलता व प्रभावों का आकलन किया जायेगा। इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा/डीडीएमओ उत्तरदायी होंगे।

- आपदा की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के वैकल्पिक मार्गों की पहचान तथा उसका पूरा नक्शा वन विभाग, लोक निर्माण विभाग व बार्डर रोड आर्गनाइजेशन के समन्वयन में सम्बन्धित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा तैयार कर विभिन्न कार्यदायी विभागों को मार्च–अप्रैल तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पंचायत स्तर तक के संवेदनशील समूहों की पहचान करेगा और उसकी सूची जिला प्रशासन व राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करा देगा।

3.3 संसाधन मानचित्रण

- राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित कार्य परिचालन केन्द्र, मीटिंग भवन/स्थल चिन्हित करेंगे ताकि आपदा की स्थिति में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यालय प्रभावित होने की दशा में उस वैकल्पिक स्थान से कार्य कर सकें।

- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा जिले में उचित स्थल पर आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियों की समीक्षा करेंगे तथा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त खरीद या सामग्री आपूर्ति की जरूरत का आकलन करेंगे। इस हेतु विभाग के संबंधित नोडल अधिकारियों को जरूरी कार्यवाही के लिए आदेश देंगे साथ ही जरूरतों के आकलन के आधार पर वित्तीय संसाधन हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को पत्र लिखेंगे।

- आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित वित्तीय पक्षों पर राज्य सरकार को परामर्श देने का कार्य राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति करेगी।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा की दृष्टि से संवेदनशील सभी क्षेत्रों में बहु–उद्देशीय सामुदायिक आश्रय स्थलों की पहचान करेंगे। जिन क्षेत्रों में बहु–उद्देशीय सामुदायिक आश्रय स्थल न हो, वहां पर सामुदायिक आश्रय स्थलों का निर्माण राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से किया जायेगा।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु जनपद स्तर पर प्रशिक्षित वालण्टियर्स व आपदा मित्र (तैराकी, गोताखोरी, नाविक, प्राथमिक उपचार में दक्ष, डोली ढोने वाले) आदि की सूची नाम, पते एवं सम्पर्क नं0 सहित तैयार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करा देंगे।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जनपद स्तर पर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/धार्मिक संगठनों/ट्रस्टों/व्यापार संगठनों/यूनियनों आदि की नाम, पते, सम्पर्क नम्बर सहित सूची तैयार करेंगे ताकि आपदा के समय उपयोग किया जा सके।

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदाग्रस्त क्षेत्रों से बीमारों को ढोने के लिए डोली की व्यवस्था पंचायत स्तर पर करेंगे। वे जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला प्रशासन को पंचातयवार उपलब्ध डोलियों तथा उनकी स्थिति की सूची भी उपलब्ध करायेंगे। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर डोली ढोने वाले वालण्टियर्स को भी चिन्हित करेंगे।

- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी जनपद में स्थित सभी हेलीपैड स्थलों व उसके कोआर्डिनेट्स को चिन्हित कर उसकी सूची तैयार कर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र व राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे तथा लोक निर्माण विभाग के समन्वयन में उसका रख–रखाव सुनिश्चित करेंगे।

- राज्य तथा जनपद स्तर तैयार विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत दिये गये प्रपत्र के आधार पर उपलब्ध आधारभूत संरचना, भौतिक एवं मानव संसाधनों की

सूची को आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ जिला प्रशासन के पास एकत्र कर उसे एस0डी0आर0एन0/आई0डी0आर0एन की वेबसाइट पर अपडेट करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एसडीएमए/डीडीएमए/राज्य सूचना विभाग/जनपद सूचना विभाग की होगी।

3.4 संवेदनशील स्थलों के सुधारात्मक उपाय

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में राज्य व जनपद स्तर के सभी विभागों/निकायों को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि सभी सार्वजनिक भवन यथा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, कार्यालय भवनों की सुरक्षा की दृश्टि से आडिट (Rapid Visual Screening) करें। इसके अतिरिक्त इस बात के लिए भी निर्देशित किया जायेगा कि सभी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण आपदा सुरक्षा मानको (Disaster Safety Standard) के आधार पर किया गया है।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण इस बात को सुनिश्चित करेगा कि राज्य के अन्तर्गत बनने वाले सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी भवनों को बनाने हेतु राज्य की भवन निर्माण संहिता का अनुपालन करेंगे। इस हेतु वह राज्य एवं जनपद स्तर पर स्थित सभी विभागों व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को दिशा निर्देशित करेगा।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आवास निर्माण की स्थानीय संस्कृति के अनुकूल विविध आपदाओं को सहन करने वाले मकान बनाने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करेगा।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण राज्य तथा जनपद में सभी विभागों के कार्यालयों की अपनी कार्यालय आपदा प्रबन्धन योजना (Office Disaster Management Plan) बनाने हेतु निर्देशित करेगा व आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह निर्देश जारी करेगा कि अस्थाई पुलों या अन्य संरचनाओं का निर्माण करें तथा जन सुरक्षा की दृश्टि से असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त करें।

3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण स्वयंसेवकों, पुलिस विभाग, होम गार्डस, युवक एवं महिला मंगल दलों, आपदा मित्रों एवं मुख्य विभागों से जुड़े कर्मचारियों इत्यादि के लिये प्रशिक्षण जरूरतों का विश्लेषण करेगा एवं समय–समय पर प्रशिक्षण देगा।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण वास्तुकार, अभियन्ताओं एवं राजमिस्त्री का समूह तैयार कर उन्हें सुरक्षित बुनियादी ढॉचे निर्माण के लिए प्रशिक्षित करेगा।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देश पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण प्राथमिक स्तर से लेकर विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य तकनीकी–गैर तकनीकी संस्थानों में आपदा प्रबन्धन के दो महत्वपूर्ण तथ्य– प्राथमिक सहायता एवं खोज तथा बचाव के उपर प्रशिक्षण देगा।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निरंतर जागरूकता एवं प्रोत्साहन कार्य चलाकर समुदाय में नये डिजाइन के आपदा सहन करने वाले आवास बनाने की मुहिम चलायेगा।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी मौसम के अनुकूल एवं हितधारकों की जरूरत के अनुसार पूर्वाभ्यास (मॉकड्रिल) प्रशिक्षण एवं जागरूकता निर्माण कार्य के लिए कैलेण्डर विकसित करेंगे।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी जिले के विभिन्न स्तर के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्वंयसेवी बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायेंगे औरं समन्वयन स्थापित करेंगे।

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से समुदाय के लिए जागरूकता अभ्यास एवं अभियान चलायेगा एवं संभावित आपदाओं तथा उससे बचाव की जानकारी देगा ताकि आपदा की स्थिति में आपदा से होने वाली क्षति व लोगों के कष्ट कम करने की दिशा में समुदाय सक्षम हो सके।

4. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

राज्य एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं से निपटने हेतु आपदा से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तौर पर सम्बद्ध सभी विभागों के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे, जिनके आलोक में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य तथा बाद में पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन से सम्बन्धित कार्यों के लिए विभागों की सक्रियता बनी रहे।

आपदाओं के लिए सक्रियता निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपदा आने की स्थिति में त्वरित व प्रभावी कार्य करने तथा स्थिति के प्रबन्धन के लिए सम्बन्धित सभी विभाग समन्वित तरीके से कार्य करें। अलग–अलग स्थितियों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए विभागों को सक्रिय करने के तत्व भिन्न–भिन्न हो सकते हैं अर्थात् जहां पर पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता होती है, वहां पर सक्रियता की स्थितियां दूसरी होगी, जबकि जिन स्थानों पर पूर्व चेतावनी प्रणाली काम नहीं करती, वहां के लिए अलग सक्रियता स्थिति होगीं।

4.1 चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता

- आपदा की तीव्रता (एल 1, एल 2 व एल 3) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों को राज्य एवं जिले स्तर पर स्थापित आपातकालीन परिचालन केन्द्र को पूर्णतया सक्रिय करने हेतु सूचित किया जायेगा।

- राज्य एवं जनपद स्तर के आपातकालीन परिचालन केन्द्र राज्य से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के प्रशासनिक तंत्र को अपने उपलब्ध मानव एवं अन्य संसाधनों के साथ आपदा की स्थिति में प्रतिवादन करने हेतु तत्पर रहने का निर्देश देंगे।

- आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित समुदायों के लिए चेतावनी का प्रसारण कराना तथा आपदा संभाव्य क्षेत्र से उनकी सुरक्षित निकासी सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य होगा।

- जनपद स्तर पर प्रभावी संवाद तंत्र स्थापित किया जायेगा, जिससे लोगों तक वास्तविक सूचनाएं अपने सही स्वरूप में पहुंच जाये।

- आपदा आने की संभावना के मद्देनजर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ जनपद/स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों से आपदा स्थल खाली कराने का कार्य किया जायेगा। इस हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर एक व्यापक आदेश निर्गत किया जायेगा तथा सभी आवश्यक पूर्व तैयारियां सुनिश्चित कर ली जायेंगी।

- इसके पश्चात् सभी स्तरों पर सभी सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों को आपदा आने की स्थिति में रिस्पान्स करने हेतु तैयार रहने के लिए फालो–अप कार्य किया जायेगा।

4.2 अल्प अवधि की चेतावनी अथवा चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता

ऐसे स्थानों पर जहां आपदाओं से सम्बन्धित कोई भी पूर्व चेतावनी प्रणाली काम नहीं कर रही है, वहां पर तत्काल स्तर पर निकासी एवं राहत कार्यों के लिए एक निश्चित प्रक्रिया के तहत् काम करने के लिए पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशों का सहारा लिया जायेगा। चेतावनी न मिलने की स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जायेगा–

- फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले लोगों तथा नोडल विभागों द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को घटना के बारे में सूचित किया जायेगा।

- घटना से निपटने हेतु जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र पूर्णतया सक्रिय हो जायेगा।

- राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को घटना की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र/ जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी और उनसे मदद की मांग की जायेगी।

- राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र सक्रिय होगा तथा राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र को सूचित करेगा। राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र को यहीं से प्रथम सूचना मिलेगी।

- सूचना मिलते ही सभी स्तरों पर गठित त्वरित रिस्पान्स दलों, खोज एवं बचाव दलों, स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल दलों आदि को घटना स्थल पर रवाना किया जायेगा।

- स्थितियों की समीक्षा के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धितों की बैठक बुलाई जायेगी। जहां जिलाधिकारी स्वयं स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा समन्वयन, आदेश एवं नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे।

तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के स्तरों का निर्धारण

आपदा की तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के एल1 एल2 व एल3 स्तर का निर्धारण होगा। आपदा का प्रतिवादन करने हेतु नियोजन भी उपरोक्त तीन स्तरों के आधार पर की जानी होगी। स्तरों के आधार पर नियोजन निम्नानुसार होगा –

एल–1 आपरेशन

यह क्रियाशीलता का न्यूनतम स्तर होता है। इस स्तर में कुछ ही लोगों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः इस स्तर में योजनाएं बनाने, सूचनाएं प्रसारित करने जैसा कार्य प्रमुख होता है। उदाहरणस्वरूप चेतावनी प्रसारित करना या कुछ निम्न स्तरीय घटनाओं से सम्बन्धित योजना बनाना आदि इस स्तर में शामिल होते है।

एल–2 आपरेशन

इस स्तर के आपरेशन के दौरान अधिक आपदा बचाव कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर की आपदा में जिला नोडल अधिकारी सभी क्रियाओं का संचालन एवं समन्वयन कर सकता है।

एल–3 आपरेशन

एल–3 स्तर की आपदाओं में विभाग से जुड़े सभी लोगों की क्रियाशीलता एवं संलिप्तता आवश्यक होती है। यह स्तर सामान्यतः उस दशा में लागू किया जाता है, जब आपदा का समय पूर्व निर्धारित हो और आपदा की तीव्रता अत्यधिक हो। एल 3 स्तर के आपरेशन में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के समन्वयन में महानिदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) के निर्देश पर विभाग प्रतिवादन करेगा।

5. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

- आपदा घटित होने की सूचना मिलते ही राज्य व जनपद स्तर पर स्थापित आपातकालीन परिचालन केन्द्र/इन्सीडेन्स कमाण्डर सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें तुरन्त स्टेजिंग एरिया में पहुंचने हेतु सूचित करेंगे।

- राज्य स्तर पर राज्य आपदा नोडल अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जनपद आपदा नोडल अधिकारी आई0आर0एस0 दिशा–निर्देश के अनुसार गठित टीमों के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु प्रतिवादन कार्य को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और आवश्यक दिशा–निर्देश देगा।

- मोबाइल नेटवर्क काम न करने की स्थिति में सूचना विज्ञान अधिकारी के सहयोग से जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण इस बात को सुनिश्चित करेगा कि विशेष रूप से आपदा की स्थिति के दौरान सूचना के आदान–प्रदान के लिए वैकल्पिक तंत्र की व्यवस्था की जाये।

- जनपद स्तर पर प्रभारी दैवीय आपदा/डीडीएमओ सभी टीमों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

- जनपद स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्यालय में स्थापित आपातकालीन परिचालन केन्द्र को संचालित करने का कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारी आपदा के दौरान किये जाने वाले राहत एवं बचाव कार्यों की दैनिक स्तर पर (सुबह व शाम) आख्या राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।

- आपदा के दौरान अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए अखबारों व मीडिया के माध्यम से सही सूचना प्रसारित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य स्तर पर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा जनपद स्तर पर जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की होगी।

- आपदा के दौरान राहत शिविरों को संचालित करने के सन्दर्भ में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की तरफ से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण प्रभावित जनपदों के स्वैच्छिक संगठनों व राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय दानदाताओं को यह दिशा–निर्देश जारी करेंगे कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार का भेद–भाव न किया जाये।

6. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

- सभी आपदा प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारी प्रत्येक आपदा के बाद पिछली आपदाओं में किये गये राहत एवं बचाव कार्यों का विश्लेषण करेंगे, आपदा के दौरान किये गये कार्यो की समीक्षा और प्राप्त सीखों को दस्तावेजित करेंगे ताकि बाद में राज्य व जिला आपदा प्रबन्धन योजना को अद्यतन करने के दौरान प्राप्त सीखों का उपयोग किया जा सके।

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व सभी सम्बन्धित विभागों से आपदा के दौरान हुई जन–धन क्षति, प्रभावित समुदाय, किये गये राहत कार्य आदि की आख्या लेगा।

- आपदा के बाद क्षति पूर्ति के लिए मानक दर निर्धारित व पुनरीक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यकारी समिति की होगी।

7. सुझाव

- बहुउद्देशीय सामुदायिक स्थल

8. चेकलिस्ट

आपदा पूर्व तैयारी

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह प्रपत्र अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भरकर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व अपर सचिव (आपदा) को सौंपा जायेगा–

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण आपदा की स्थिति में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में आई0आर0एस टीम को पुनर्गठित कर लिया गया है।		
राज्य आपदा प्रबन्धन योजना व राज्य प्रतिवादन योजना तैयार कर ली गयी है।		
जिला आपदा प्रबन्धन द्वारा प्रशिक्षणों हेतु संसाधनों की व्यवस्था की गयी है।		
निम्न विभागों से संचार व्यवस्था स्थापित की गयी है– • राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र • आयुक्त, आपदा • अपर सचिव, आपदा • राज्यों के सभी विभागीय मुख्यालय पर आपदा नोडल अधिकारी • सभी जिलों के जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र • सभी जिलों के जिलाधिकारी • एस.डी.आर.एफ. • एन.डी.आर.एफ. • सेना/अर्ध सेना बल		
सभी राष्ट्रीय/राज्य एजेन्सियों के नेटवर्क की सूची तैयार कर ली गयी है।		
पूर्व चेतावनी सूचना प्रसारण का तंत्र विकसित किया गया है।		
जोखिम आकलन संवेदनशील विकास खण्डों/ क्षेत्रों की सूची तैयार की गयी है।		
वैकल्पिक मार्गों की पहचान कर उनका मानचित्र तैयार कर लिया गया है।		
तैयार मानचित्रों को सभी सम्बन्धित विभागों के साथ साझा किया गया है।		
सभी जनपदों के संवेदनशील समूहों (गर्भवती व धात्री महिलाओं, वृद्धों, बीमार, छोटे बच्चों, किशोरियों आदि) की सूची तैयार की गयी है।		

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
संसाधन मानचित्रण आपदा की स्थिति में शिविर लगाने हेतु वैकल्पिक स्थानों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।		
संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सामग्री की सूची तैयार कर ली गयी है।		
बहुउद्देशीय सामुदायिक स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है।		
सभी जिलों के प्रशिक्षित वालन्टियर्स, आपदा मित्र, नाविक, गोताखोर आदि की सूची तैयार कर ली गयी है।		
सभी जिलों के, स्वैच्छिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, ट्रस्टों, व्यापार संगठनों, यूनियनों की सूची तैयार कर ली गयी है।		
सभी संवेदनशील क्षेत्रों में बीमारों को ढोने के लिए डोलियों की सूची तैयार कर ली गयी है।		
सभी हेलीपैडों कोआर्डिनेटस की सूची तैयार कर ली गयी है।		
सभी जिलों के विभागीय नोडल अधिकारी का सम्पर्क न0 व पता की सूची तैयार की गयी है।		
क्षमतावर्धन व माकड्रिल सभी जनपदों में विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यकता आकलन कर लिया गया है।		
जनपदों के वास्तुकार, अभियन्ताओं, राजमिस्त्री समूह को बुनियादी ढ़ांचे निर्माण के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की गयी है।		
आपदा पर जागरूकता एवं प्रोत्साहन हेतु निर्देश सभी जिलों को दिया गया है।		
प्रशिक्षण, माकड्रिल, जागरूकता के लिए कैलेन्डर विकसित किया गया है।		

आपदा के दौरान

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
आपदा की स्थिति में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में आई0आर0एस टीम को सक्रिय कर दिया गया है।		
स्टेजिंग एरिया में पहुंचने हेतु समन्वय स्थापित किया गया है।		
आपदा के दौरान सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु वैकल्पित तंत्र की व्यवस्था की गयी है।		
डी.डी.एम.ओ./ प्रभारी दैवीय आपदा जिले स्तर पर समन्वय हेतु तैयारी कर लिए है।		
आपदा के दौरान दैनिक स्तर पर आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रणाली विकसित है।		
राहत शिविरों के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है।		
आपदा से सम्बन्धित अफवाहों पर नियन्त्रण हेतु समुचित प्रयास किये जा रहे हैं।		
सभी जनपदों के जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने का दिशा निर्देश दे दिया गया है।		